3

20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

III/किरानी/शहडोल/भू.रा./2017/185

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–शहडोल

1– अमृतलाल पुत्र श्री छोटेलाल ताम्रकार
2– विजय कुमार पुत्र श्री छोटेलाल ताम्रकार
3– पुरूषोतम दास पुत्र श्री छोटेलाल ताम्रकार
4– श्यामकली पुत्री श्री छोटेलाल ताम्रकार
5– गोमती बाई पुत्री श्री छोटेलाल ताम्रकार
6– घनश्याम पुत्र श्री छोटेलाल ताम्रकार
7– राजेश्वर पुत्र श्री छोटेलाल ताम्रकार
8– कन्हैयालाल पुत्र श्री छोटेलाल ताम्रकार
9– कामनी पुत्री श्री छोटेलाल ताम्रकार
निवासीगण – ग्राम बुढार तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री बाबूलाल ताम्रकार
निवासी – ग्राम बुढार तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/अ–74/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बुढार की प्रश्नाधीन शासकीय भूमि खसरा नं. 472/1 के जुज भाग $27\frac{1}{2}\times 56$ फीट पर आवेदक के पिता छोटेलाल ताम्रकार का लगभग 50 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है। जिसके अंश भाग 9.5×51 फीट पर मुख्यनगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बुढार द्वारा अनावेदक गोविन्द प्रसाद ताम्रकार को भवन निर्माण का अनुज्ञा पत्र दिनांक 15.06.2001 को जारी किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1851-तीन/2017 जिला-शहडोल अमृतलाल विरूद्ध गोविन्द प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-10-2018 1/7 10.10.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अमृतलाल पुत्र छोटेलाल व अन्य के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 102/अ-74/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में दिनांक 24-09-2018 को आवेदक अमृतलाल व अन्य के अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक गोविन्द प्रसाद फोत वारिसान के अभिभाषक श्री दुष्यंत सिंह चौहान के तर्क सुने गये । 2. आदेश दिनांक 14-07-2017 की आदेश पंजिका अनुसार निगरानी में पर्याप्त आधार होने से निगरानी ग्राह्य की गई थी। 3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि छोटेलाल (आवेदकगण के पिता) ने ग्राम बुढार की भूमि खसरा नं. 472/1 रकबा भाग 27½ x 56 फीट पर कब्जा निहित है जिसके अंश भाग 9.5X51 फीट पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुढार द्वारा अनावेदक गोविन्द प्रसाद को भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा दिनांक 15-6-2001 से व्यथित होकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा दी गई भवन निर्माण अनुज्ञा को निरस्त करने हेतु आवेदन दिया था । कलेक्टर शहडोल के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 108/अपील/2000-01 छोटेलाल विरूद्ध गोविन्द	

प्रसाद में दिनांक 18-09-2001 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया था ।

"अपीलार्थी द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 308 के तहत प्रस्तुत यह अपील स्वीकार कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बुढार पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 15-06-2001 को निरस्त किया जाता है । प्रकरण के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित अभिलेख एवं उत्तरवादी गोविन्द प्रसाद ताम्रकार को आहूत करनें की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बनाकर अथवा पुराना कब्जा होना बताया जाता है, अतः अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर को आदेशित किया जाता है कि वे राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत अथवा नजूल जांच के तहत इस प्रकरण का परीक्षण कर उचित कार्यवाही करें ।"

उक्त आदेश से व्यथित होकर गोविन्द प्रसाद पुत्र बाबूलाल के द्वारा माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर में निगरानी क्रमांक 2308-एक/2000 प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 28-04-2003 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है ।

2/7

"नगर पालिका अधिकारी के प्रश्नाधीन प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बुढार द्वारा यह जांच की गई कि विवादित भूमि शासकीय है अथवा नहीं और चूंकि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि विवादित भूमि के स्वत्व के संबंध में जांच कर नियमानुसार आदेश पारित करें, अतः इसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।"

10.10.18

4. कलेक्टर का आदेश दिनांक 18-09-2001 एवं राजस्व मंडल का आदेश दिनांक 28-04-2003 के अनुपालन में अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल के द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्रमांक 102/अ-74/2009-10 आदेश दिनांक 14-05-2010 के अंतिम पैरा 3 में निम्नानुसार कलेक्टर (नजूल) को प्रतिवेदन भेजा है ।

"अस्तु प्रकरण के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि म.प्र. शासन की भूमि है तथा उत्तरवादी गोविन्द प्रसाद ताम्रकार वास्तविक कब्जेदार है, पंचनामा एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के प्रकरण क्रमांक 187/अपील/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 12-05-2004 से जो प्रमाणित है । माननीय न्यायालय कलेक्टर शहडोल एवं राजस्व मंडल के आदेश के अनुक्रम में प्रश्नाधीन आराजी का नजूल जांच के तहत अस्थाई/स्थाई पट्टे गोविन्द प्रसाद ताम्रकार पिता बाबूलाल ताम्रकार को प्रदाय करने की कार्यवाही हेतु कलेक्टर (नजूल) को भेजा जाये । पक्षकार सूचित हो । वाद कार्यवाही प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जाये ।"

5. अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल के उक्त प्रतिवेदन दिनांक 14-05-2010 के विरूद्ध आवेदकगण अमृतलाल व अन्य के द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें आयुक्त शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 107/निगरानी/2009-10 में दिनांक 29-05-2012 को आदेश पारित किया गया, जिसका पैरा 6 व 7 निम्नानुसार है ।

" यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है तथा कई वर्षो से आबादी होने के कारण यहॉ बसाहट है, किन्तु अभी तक यहॉ के निवासियों को इस शासकीय भूमि के आवासीय

पट्टे नहीं दिए गए हैं । सामान्यत: ऐसा मामला नजूल जॉच के अंतर्गत है । कलेक्टर शहडोल ने तथा बाद में माननीय राजस्व मंडल ने नजूल जॉच के तहत अथवा आश्रय योजना अंतर्गत प्रकरण का परीक्षण करने के निर्देश दिए, जिसके अनुक्रम में परीक्षण कर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक गोविंद ताम्रकार का कब्जा होना पाया है तथा प्रश्नाधीन आदेश द्वारा प्रकरण को पट्टे संबंधी कार्यवाई के लिए कलेक्टर (नजूल), शहडोल को भेजा है । अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर गोविंद ताम्रकार का प्रश्नाधीन भूखंड पर कब्जा होने संबंधी निष्कर्ष निकाला है, इसका खुलासा प्रश्नाधीन आदेश में नही किया गया है । रिकार्ड में उपलब्ध वर्ष 1989-90 के खसरे के कालम 12 में प्रश्नाधीन भूमि पर छोटेलाल पिता जगन्नाथ (आवेदकगण के पिता) का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज रहा है तथा वर्ष 2000-2001 में अनावेदक का नाम दर्ज है पुन: वर्ष 2009-10 के खसरा पांचसाला में कालम 12 रिक्त है। स्पष्ट है कि कब्जे के संबंध में बारीकी से जॉच की आवश्यकता थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य नही ली गई, न ही किसी दस्तावेज को प्रमाणित कराया गया, जहॉ तक कि दिनांक 18/11/2005 के स्थल पंचनामा पर हस्ताक्षर करने वालों का भी परीक्षण नहीं किया गया । इस प्रकार विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाई किए बिना ही निष्कर्ष निकाले गए ।

6/7

अत: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर का आदेश दिनांक 14/05/2010 अपास्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर, माननीय राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 28/04/2003 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें

10.10.18

तथा विधिवत साक्ष्य लेकर, स्वयं मौका देखकर प्रकरण में निष्कर्ष निकाले जाएँ एवं गुणदोष पर निर्णय किया जाए ।

6. आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के उक्त आदेश दिनांक 29-05-2012 के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/अ-74/2009-10 की आदेश पंजिका दिनांक 01-03-2017 व 26-05-2017 निम्नानुसार है ।

" प्रकरण प्रस्तुत ।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित । अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा. दी. के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है । मृतक अनावेदक गोविन्द प्रसाद पिता बाबूलाल तामकर निवासी बुढार के विधिक वारिसों का नाम लालस्याही से अपील मेमो से संशोधन किया जाय । प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है ।

प्रकरण प्रस्तुत ।

आवेदक अभिभाषक उपस्थित अनावेदक को सूचित कराया जाकर वास्ते तर्क हेतु ।"

7. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों व उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषक के अंतिम तर्क दिनांक 24-09-2018 को सुने गये । अपने तर्कों में आवेदक अभिभाषक के द्वारा वही बात दोहरायी गई जो निगरानी मेमों में है । आवेदक अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि कलेक्टर शहडोल ने अपने आदेश दिनांक 18-09-2001 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा अनावेदक को शासकीय भूमि पर दी गई भवन निर्माण की अनुमति न केवल निरस्त की गई बल्कि यह भी लिखा है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित अभिलेख एवं उत्तरवादी गोविन्द प्रसाद को आहूत करने की

5/7

10.10.18

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । उक्त आधार पर ही आवेदक अभिभाषक का कहना है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 102/अ-74/2009-10 की आदेश पंजिका 01-03-2017 अनुसार आदेश 22 नियम 4 जा.दी. के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर अनावेदक विधिक वारिसों का नाम लाल स्याही से अपील में अंकित किये जाने का आदेश गलत तरीके से किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

8. आयुक्त शहडोल संभाग के आदेश दिनांक 29-05-2012 के पैरा 7 में स्पष्ट किया गया है अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर माननीय राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 28-04-2003 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें तथा विधिवत साक्ष्य लेकर स्वयं मौका देखकर प्रकरण में निष्कर्ष निकाला जाये एवं गुण-दोष पर निर्णय किया जाये ।

9. अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में यह आवश्यक है कि निष्कर्ष निकालने के पहले सभी संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सुना जाये, जिस हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक गोविन्द प्रसाद के वारिसानों को अपील मेमों में शामिल किया गया है । कलेक्टर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 18-09-2001 में अनावेदक गोविन्द प्रसाद को बुलाया जाना इसलिये उचित नहीं समझा था क्योंकि शासकीय भूमि पर उनके द्वारा नगर पंचायत बुढ़ार से दिनांक 15-06-2001 को निर्माण करने की अनुमति ली गई थी । जिसे कलेक्टर ने निरस्त किया है ।

6/7

10.10.18

10. चूंकि कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत अथवा नजूल जांच के तहत प्रकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे, जिसका यह निष्कर्ष नहीं कतई नहीं

निकाला जा सकता है कि अनावेदक की राजीव गांधी आश्रय योजना अथवा नजूल जांच के अंतर्गत पट्टे की पात्रता समाप्त हो गई है । अतः आवश्यक है कि अनावेदक अथवा उसके विधिक वारिसानों को भी प्रचलित कार्यवाही में सुना जाये ।

11. उपरोक्त के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल के आदेश दिनांक 26-05-2017 एवं दिनांक 01-03-2017 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी जाने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पायी जाती है एवं दिनांक 01-03-2017 एवं 26-05-2017 को पारित आदेश स्थिर रखे जाते है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

12. उभय पक्ष के अभिभाषकों को नोट कराया जाये । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये ।

10.X.18

(आर.के. जैन)
सदस्य